

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1603] No. 1603] नई दिल्ली, बुधवार, जून 7, 2017/ज्येष्ठ 17, 1939

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 7, 2017/JYAISTHA 17, 1939

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जून, 2017

का.आ. 1810(अ).—खादी और ग्रामोद्योग आयोग नियम, 2006 के नियम 3 और 4 के साथ पठित खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 61) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से खादी और ग्रामोद्योग आयोग के उत्तरी अंचल के अंचल सदस्य के रूप में डॉ हिना शफी भट्ट को नियुक्त करती है और उस प्रयोजनार्थ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 26 अक्तूबर, 2015 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2922(अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है नामतः उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या (5) के पश्चात् अंचल सदस्य से संबंधित पैराग्राफ - I में तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों में निम्नलिखित कम संख्या तथा प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, नामतः-

"(6). उत्तरी अंचल

डॉ हिना शफी भट्ट, सुल्तानप, एमपी लेन, कुरसू,

अंश कालिक''

राज बाग, हृरियत कार्यालय के पास, श्रीनगर – 190008.

2. डॉ हिना शफी भट्ट 25 अक्तूबर, 2018 को समाप्त अवधि के लिए कार्यभार संभालेंगी।

[फा. सं. ए - 43013/6/2015-केवीआई-पी]

बी. एच. अनिल कुमार, संयुक्त सचिव

3595 GI/2017 (1)

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES NOTIFICATION

New Delhi, the 7th June, 2017

S.O. 1810(E).—In exercise of the powers conferred by section 4 of the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956 (61 of 1956), read with rules 3 and 4 of the Khadi and Village Industries Commission Rules, 2006, the Central Government hereby appoint Dr. Hina Shafi Bhatt as Zonal Member, North Zone of the Khadi and Village Industries Commission, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette and for that purpose makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, number S.O. 2922 (E), dated the 26th October, 2015 namely:- In the said notification, in paragraph-I relating to Zonal Member, after serial number (5) and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

"(6). North Zone

Dr. Hina Shafi Bhatt, Sulpanap, M.P. Lane, Kursoo, Raj Bagh, Near Hurriat Office, Srinagar – 190 008.

Part Time"

2. Dr. Hina Shafi Bhatt shall hold office for a period ending on the 25th October, 2018.

[F. No. A-43013/6/2015-KVI-P]

B. H. ANIL KUMAR, Jt. Secy.